

प्रेषक,

संगीता कुमारी,  
प्रथम अपर प्रधान न्यायाधीश,  
परिवार न्यायालय, हरदोई।

सेवा में,

श्रीमान् डिप्टी रजिस्ट्रार (एम),  
माननीय उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान् प्रधान न्यायाधीश,  
परिवार न्यायालय, हरदोई।

विषय- माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत पत्रांक-457/IV-3438/Admin (A-4): dated: Allahabad: दिनांकित 08-01-2018 के दृष्टिगत दिनांक 15-11-2017 को प्रेषित विवरण के सम्बन्ध में तथा पत्रांक-14325/IV-h-16/Admin A-IV/दिनांकित 03-12-2021 के सम्बन्ध में प्रेषित सम्पत्ति विवरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें।

ससम्मान अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत पत्रांक-11267/चार-3438-एड०(ए) दिनांकित 18-09-2017 के दृष्टिगत दिनांक 15-11-2017 को सप्लीमेण्ट्री इन्फार्मेशन बावत इन्कम टैक्स डिडेक्शन एवं अन्य डिडेक्शन वित्तीय वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 व 2015-16 का संशोधित सम्पत्ति का विवरण प्रेषित किया गया, परन्तु लिपिकीय त्रुटिवश वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के सम्पत्ति विवरण की प्रविष्टियां गलत अंकित हो गईं। तद्क्रम में वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 का संशोधित तथा वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 व 2019-20 के सम्पत्ति का विवरण माननीय उच्च न्यायालय को प्रेषित किया जा रहा है। उक्त सम्पत्ति विवरण त्रुटिवश समय से प्रेषित नहीं किया जा सका, इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी क्षमा चाहती है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रेषित सम्पत्ति विवरण पर सहानुभूतिपूर्वक विचार हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें।

तद्क्रम में माननीय न्यायालय से सादर निवेदन है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रेषित सम्पत्ति का विवरण स्वीकृत करने की कृपा करें।

ससम्मान।

भवदीया

दिनांक 09-12-2021

*Sangita*  
29/12/2021  
(संगीता कुमारी)

प्रथम अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय,  
हरदोई।

संलग्नक-यथोक्त